निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 338/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई. डी. एफ. सी. फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व नाम कैपिटल फर्स्ट होम फाईनेन्स लि.) सैकिण्ड फ्लोर, मनुभासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच एस बी सी बैंक के सामने, जयपुर। जरिये अधिकृत अधिकारी श्री पवन कौशिक ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री श्याम ड्राईक्लीनर्स एण्ड डायर्स
   पता-272, विवेक विहार, दुकान नम्बर 3-4, लक्ष्मण पथ, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर,
   61, सीताराम कालोनी, रामनगर के पास, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।
2. अमन वर्मा
3. केशर देवी
4. दिव्या वर्मा
   (विधिक वारीसान भागचन्द के)
   पता :-प्लाट नम्बर 61, सीताराम कालोनी, रामनगर के पास, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः-

1. श्री के.के. सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री अमृत प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश दिनांक 18.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.05.32017 व 02.06.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में भागचन्द के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 61, सीताराम कालोनी, रामनगर के पास, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर क्षेत्रफल 125 वर्गगज को बन्धक रख कर 4,90,000/-रूपये 10,00,000/-रूपये व 15,00,000/- रूपये कुल 29,90,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी भाग चन्द को दिनांक 14.03.2019 व उसके विधिक वारीसान को दिनांक 28.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अमृत प्रसाद शर्मा ने वकालंतनामा व जवाब पेश किया।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा 02 अप्रेल 2019 को क्रम संख्या 69 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए अवसर चाहा, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए समय दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 4,90,000/–रूपये 10,00,000/–रूपये व 15,00,000/–रूपये कुल 29,90,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 2806594/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त नोटिस दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में भागचन्द के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 61, सीताराम कालोनी, रामनगर के पास, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर क्षेत्रफल 125 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर